

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :- 90/2021
CIS No. :- TS/90/2021
CNR :- BRWC22-000140-2021

विक्रमा ठाकुर बनाम् सूदीस ठाकुर एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03.01.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार पर वादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण पर सम्मन का तामीला कराये जाने हेतु वादी द्वारा जरिये रजिस्ट्री सम्मन की पैरवी की गयी। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी संख्या—1 एवं 2 क्रमशः सूदीस ठाकुर एवं कुमरेश ठाकुर के विरुद्ध जरिये नजारत सम्मन तामिला अभिलेख पर अभी उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी संख्या—3, 4 व 5 क्रमशः भीखम ठाकुर, प्रेम भगत एवं गीता देवी पर नजारत सम्मन तामीला पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या—3, 4 व 5 पर सम्मन का तामिला द्वारा रजिस्ट्री किया जाना आवश्यक है। अतः वादी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या—3, 4 व 5 क्रमशः भीखम ठाकुर, प्रेम भगत एवं गीता देवी पर रजिस्ट्री सम्मन की तामीला हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे। अभिलेख वास्ते प्रतिवादीगण की उपस्थिति/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक—01.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।	